डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम **चौहटन**

व इजलास ***श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण – 1.श्रीमती धापू देवी के कायम मुकाम :–
श्रीमती बबरी उर्फ पपू पुत्री नगाराम, जाति दर्जी
निवासी बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.भेराराम के का.मु. :– 1/1.बाबूलाल 1/2.सताराम 1/3.रूखमोंदेवी
2.श्रीमती आसीदेवी उर्फ दीपू पत्नि दीपाराम 3.विजाराम पुत्र दीपाराम
4.अनाराम उर्फ अनिलकुमार 5.मोहनराम पि.सगताराम
6.श्रीमती छगनी पत्नि सगताराम 7.सवाईराम पुत्र आम्बाराम
8.जुगताराम पुत्र आम्बाराम के का.मु. :– 8/1.धनाराम 8/2.जोगाराम
8/3.सरूपाराम पि.जुगताराम 8/4.लेहरोंदेवी बेवा जुगताराम
9.मंगलाराम 10.हरजीराम पि.आम्बाराम, जाति दर्जी, निवासी तारातरा मठ
11.तहसीलदार चौहटन
12.श्रीमती रूपोदेवी पत्नि खेमाराम,जाति जाट, निवासी तारातरा मठ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री सुरेश चौधरी**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री प्रवीण चौधरी (प्रतिवादी सं. 12)**

वाद बाबत 88 RT Act.

मुकदमा नं. 31/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री सुरेश चौधरी** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री प्रवीण चौधरी** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा तारातरा के खसरा सं. 412 रकबा 22.08 बीघा, खसरा सं. 433 (नया खसरा सं. 1074/433) रकबा 158.12 बीघा, खसरा सं. 432 रकबा 00.03 बीघा में वादीगण को 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 12 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर...

.... बीज .... [illegible] .... बाबत ....
पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व खर्च [illegible] फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक [illegible] अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.12.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:31:11 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

सहायक कलक्टर चौहटन

दस्तखत........................
ओहदा ....

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 31/2011

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण – 1.श्रीमती धापू देवी के कायम मुकाम :–
श्रीमती बबरी उर्फ पपू पुत्री नगाराम, जाति दर्जी
निवासी बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.भेराराम के का.मु. :– 1/1.बाबूलाल 1/2.सताराम 1/3.रूखमोंदेवी
2.श्रीमती आसीदेवी उर्फ दीपू पत्नि दीपाराम 3.विजाराम पुत्र दीपाराम
4.अनाराम उर्फ अनिलकुमार 5.मोहनराम पि.सगताराम
6.श्रीमती छगनी पत्नि सगताराम 7.सवाईराम पुत्र आम्बाराम
8.जुगताराम पुत्र आम्बाराम के का.मु. :– 8/1.धनाराम 8/2.जोगाराम
8/3.सरूपाराम पि.जुगताराम 8/4.लेहरोंदेवी बेवा जुगताराम
9.मंगलाराम 10.हरजीराम पि.आम्बाराम, जाति दर्जी, निवासी तारातरा मठ
11.तहसीलदार चौहटन
12.श्रीमती रूपोदेवी पत्नि खेमाराम,जाति जाट, निवासी तारातरा मठ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री सुरेश चौधरी**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री प्रवीण चौधरी (प्रतिवादी सं. 12), शेष एकतरफा**

अन्तर्गत धारा 88 RT Act. RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 13.12.2022

वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील चौहटन के मौजा तारातरा के खसरा सं. 412 रकबा 22.08 बीघा, खसरा सं. 433 (नया खसरा सं. 1074/433) रकबा 158.12 बीघा, खसरा सं. 432 रकबा 00.03 बीघा भूमि के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 88,53 Rt act का न्यायालय हाजा में पेश किया गया । जिसके संबंध में प्राथमिक डिक्री न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.07.2011 को जारी की गई । उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रतिवादी सं. 12 श्रीमती रूपोंदेवी पत्नि खेमाराम द्वारा श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष पेश की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 15.05.2015 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पुष्टि की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:31:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2011 को यथावत् रखा गया।

उसके पश्चात् न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 08.07.2011 एवं प्रथम अपील श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 15.05.2015 के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में पेश की गई। जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 07.09.2022 को पारित किया जाकर न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 15.05.2015 को खारिज किया गया तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.11.2011 में वादीगण के पक्ष में विरासतन जो घोषणात्मक हिस्सा घोषित किया गया उसे बहाल रखा जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि विरासतन घोषणा के पश्चात प्रतिवादीगण के स्वामित्व की भूमि में से अपीलार्थी रूपोदेवी को संयोजित्त करते हुए उसके भूमि क्रय किये जाने को मध्य नजर रखते हुए विधि अनुरूप स्वामित्व की घोषणा करे साथ ही दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार पुनः प्राथमिक डिक्री जारी पारित करे।

मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर से पुनः प्राप्त हुई। जो पुनः नम्बर पर ली जाकर प्रतिवादीगण को सूचना नोटिस जारी किये गये। जिसमें मूल वाद के पक्षकारों में से वादीनी सं. 1 धापू एवं प्रतिवादी सं. 1 भैराराम, प्रतिवादी सं. 8 जुगता, प्रतिवादी सं. 11 श्रीमती पातु की फौतगी की सूचना प्राप्त हुई।

वादीगण वकील श्री सुरेश चौधरी उपस्थित हुए। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकाम व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के आदेश अनुसार श्रीमती रूपोदेवी को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में रिकॉर्ड पर लेने बाबत् पेश किया। जिसे स्वीकार किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:31:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर चौहटन सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

संशोधित शीर्षक अनुसार प्रतिवादी सं. 1 व 8 के कायम मुकाम के सम्मन जारी किये गये। जो बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 12 श्रीमती रूपोंदेवी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 12 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र वाद में धारा 53 Rt Act की इस्तदुआ प्रत्याहरित कर निर्णय करने बाबत् पेश की । उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति प्रतिवादी सं. 12 के अधिवक्ता को दिलाई गई । प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए धारा 53 Rt Act की इस्तदुआ प्रत्याहरित करते हुए वाद में शेष घोषणा के अनुतोष तक निर्णय करने का निवेदन किया।

बहस में प्रतिवादी सं. 12 के अधिवक्ता ने वादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि यदि धारा 53 Rt Act की इस्तदुआ प्रत्याहरित की जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। जिसके आधार पर वादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद में धारा 53 Rt Act की इस्तदुआ प्रत्याहरित की जाती है।

सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
चौहटन

पत्रावली पेश हुई। वाद अन्तर्गत धारा 88 Rt Act पर उपस्थित अधिवक्ताओं की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों एवं श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर [illegible] का अध्ययन/अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट हुआ है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है तथा प्रतिवादी सं. 12 के काउन्टर क्लेम अनुसार उसकी क्रय सुदा भूमि रकबा 60.04 यानि कुल वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा घोषित किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:31:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

जाने की अधिकारी होने से प्रतिवादी सं. 12 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी सं. 12 का काउन्अर क्लेम अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन मौजा तारातरा के खसरा सं. 412 रकबा 22.08 बीघा, खसरा सं. 433 (नया खसरा सं. 1074/433) रकबा 158.12 बीघा, खसरा सं. 432 रकबा 00.03 बीघा में वादीगण को 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 12 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
चौहटन

(भागीरथ राम ॥)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:31:11 IST
Reason: SelfAttested